मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1237 भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

विषयः–ई–अनुज्ञा पोर्टल का शतप्रतिशत क्रियान्वयन संबंधी।

–0–

दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की समस्त 257 मण्डी समितियों में एक साथ ई–अनुज्ञा पोर्टल का क्रियान्वयन आरम्भ किया गया है, जिसमें शतप्रतिशत ई–अनुज्ञा जारी किये जा रहे हैं। ई–अनुज्ञा आरम्भ हुये एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो चूका है।

1/ मण्डी बोर्ड मुख्यालय के संज्ञान में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उपरोक्त अवधि में प्रदेश की कुछ कृषि उपज मण्डी समितियों के द्वारा ई–अनुज्ञा के साथ साथ कुछ मेनुअल अनुज्ञायें भी जारी की गई हैं? यह स्थिति ई–अनुज्ञा पोर्टल क्रियान्वयन एवं मण्डी बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत है। उपरोक्त का संदर्भ लेते हुये अंचल की कौन कौन सी मण्डी समितियों के द्वारा ई–अनुज्ञा के साथ साथ मेनुअल अनुज्ञा जारी करनी पड़ी है? उसका कारण सहित स्पष्टीकरण देवें।

2/ कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1206 दिनांक 14/08/2019 "प्रदेश की मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी भाईयों की सुविधा के लिये "हेल्पडेस्क" की स्थापना संबंधी" का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस पत्र के बिन्दु क्रमांक 3/में प्रदेश की मण्डी समितियों के ऐसे व्यापारी जिन्हें ई–अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य की कठिनाई है अथवा आवश्यक अधोसंरचना के अभाव में असमर्थ हैं। उनकी ई–अनुज्ञा पूर्ववत मण्डी कर्मचारी द्वारा बनाकर दी जावेगी।

कतिपय मण्डी समितियों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा मण्डी कार्यालय आकर ई–अनुज्ञा चाहे जाने पर मण्डी कर्मचारी द्वारा व्यापारी की लॉगिन आई. डी. से ई–अनुज्ञा बनाकर दी जा रही है। यह स्थिति ई–अनुज्ञा संचालन के विपरीत है। ऐसी स्थिति में मण्डी कर्मचारी को चाहिये की वो अपनी मण्डी की लॉगिन आई.डी. से ही ई–अनुज्ञा बनाकर व्यापारी को देवें अन्य किसी से नहीं।

यदि अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान से ई–अनुज्ञा चाहता है तो व्यापारी स्वयं की लॉगिन आई.डी. से ई–अनुज्ञा बनाकर प्राप्त कर सकता है। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

अतः विषय संदर्भ में अंचल की मण्डी समितियों से वांछित जानकारी प्राप्त कर पूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हुये अपना स्पष्ट अभिमत/प्रतिवेदन 03 दिवस की समय सीमा में अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डॉ.केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1238 भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय के, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) संयुक्त संचालक (नियमन/ई–अनुज्ञा)/सहायक संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल